335/R12/2014
23/1/15

(1)

(7) 31/12/2013

230

15

BY SPEED POST

RECEIVED
09 JAN 2014
Home Minister's Office

सेवा में

श्रीमान केन्द्रीय गृहमंत्री
(मा० सुशील कुमार सिन्दे जी)
भारत सरकार
नई दिल्ली

महोदय जी, सादर प्रणाम।

JS(A)

Asstt. P.S. to Home Minister
Govt. of India
New Delhi

मैं सच्चिदानन्द तिवारी "पत्रकार" खीरी यमुनापार इलाहाबाद उ०प्र० आपका ध्यान अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने तथा प्रशासनिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाये जाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

श्रीमान जी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का यमुनापार क्षेत्र उ०प्र० म०प्र० सीमा का विशाल पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ ज्यादातर आदिवासी, बन्जारे सपेरे वनवासी तथा दलितों की बस्ती है।

महोदय क्षेत्रीय वनमाफिया, भूमाफिया, नक्शलियों तथा खनन माफियाओं के क्रियाकलापों से यह क्षेत्र संक्रमित है। वनवासी आदिवासियों के शोषण, नारी का उत्पीड़न, शिक्षा के प्रचार प्रसार एवम् विकास योजनाओं में यहाँ भारी मात्रा में बन्दरबाँट है जिसकी आवाज मैंने हमेशा अपने कलम के माध्यम से उचित मंचो पर रखते रहे हैं जिससे कर्मचारी अधिकारी, क्षेत्रीय माफिया खनन माफिया तथा स्थानीय गुंडे प्रभावित हुए। पुलिस अधिकारी तथा तहसील अधिकारी भी अपनी गन्दी करतूत के कारण परेशान होते रहे हैं।

नारी उत्पीड़न तथा दहेजलोभी हत्यारे भी अपना अपना अपराध नही छिपा पाये जबकी भारी मात्रा में स्थानीय पुलिस पैसा लेकर मामले का लीपा पोती करती रही सभी को पूर्व में दण्ड मिल चुका है।

श्रीमान जी शासन प्रशासन के अधिकारी उन्हें संरक्षण देकर अपराधियों को छूट दिये जिससे कई बार मुझे खतरे से गुजरना पड़ा प्राणघातक हमले हुए प्रशासन लीपापोती करके रीपोर्ट भी नही दर्ज की जिससे मुझे अब जान बचाने की पड़ी है।

श्रीमान जी पूर्व की केन्द्रीय सरकार में भी 2009 तथा 10 में मैंने मा० गृहमंत्री भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति, मा० प्रधानमंत्री जी तथा सर्वोच्च न्यायालय के ~~चीफ~~ न्यायाधीश से बिन्दुवार समस्या की जानकारी प्रेषित कर केन्द्रीय सुरक्षा गार्ड दिये जाने की माँग की थी लेकिन जाँच में संस्तुति होने के बावजूद भी प्रदेश की सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था नही दी थी।

महोदय जी वर्तमान देश की सरकार से तीन बार मैं क्रमवार घटनाओं की जानकारी प्रेषित करके केन्द्रीय सुरक्षा की माँग करते रहे खतरों से गुजरने के बाद भी मुझे आज तक सुरक्षा गार्ड नही उपलब्ध हो सके। हम सामान्य व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हूँ पत्रकार हूँ मेरे पास अतिरिक्त कमाई नही है कि सुरक्षा गार्ड का खर्च दे सकूँ।

14/1/14

DS(E)

US(...)

SO(RTI)

13/1

DS(...)

...5

महोदय जी,

पूर्व में बिन्दुवार जॉच की आख्या मैने गृहमंत्रालय से मॉगी थी। लेकिन सूचना अधिकार के तहत गृह मंत्रालय से मुझे पत्र प्राप्त हुआ था लेकिन यहॉ जिला प्रशासन मेरे कार्य के प्रति उदासीनता ही नही लापरवाही करते गये राजनैतिक दबाव में सब कुछ दबा दिया गया।

श्रीमान् जी बीस वर्षो के सार्वजनिक जीवन में मैने इस क्षेत्र में न्याय दिलाने गरीबों मजदूरों को प्रशासनिक मदद दिलाने तथा क्षेत्रीय जन समस्याओं को प्रकाशित कराने ग्रामीण उत्थान तथा निष्पक्ष सरोकार के लिए आम व्यक्ति के लिए कार्य करते रहे हैं। मैने कभी किसी से कोई मदद अथवा सुविधा नही प्राप्त की है। ईर्ष्या में आज क्षेत्रीय माफिया तथा माफिया राजनैतिक शरारती तत्व मेरे जान के दुश्मन बने हुए हैं।

अभी 8/9-12-2013 की रात्रि लगभग तीन बजे क्षेत्रीय दबंग ठीकेदार व्यक्तिगत थाना पुलिस की मदद से रात्रि में मेरी भूमिधरी के चक में बोई हुई भूमि में जे० सी० बी० मशीन से मेरी खेती नष्ट कर दी, पेट्रोल टंकी के बगल निर्माणाधीन ग्रामीण लिंक मार्ग (भंवरहा) खीरी जो स्थानीय विधायक के निधि के पैसे से बन रही है। ये लिंक मार्ग की जमीन जो बेशकीमती है एक भूमाफिया की जमीन से होकर गुजरती थी उसे बचाने के लिए थाना पुलिस, तहसील कोरांव एस०डी०एम० तथा विधायक की मिली भगत से मेरी बोई जमीन नष्ट करके अतिक्रमण करके रातोंरात रोड बना दी गई मा० जिलाधिकारी, आयुक्त, एस०डी०एम० आदि से प्रार्थना की गई लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद भी मुकदमा पंजीकृत नही हुआ अपराधी ठीकेदार घूम रहा है धमकी दे रहा है जान मारने की, खेती नष्ट हुई। जमीन भी अतिक्रमण कर ली गई है। यह सब उत्पीड़न पत्रकार होने के कारण है।

अतः महोदय जी से करबद्ध प्रार्थना है कि पूर्व जॉच रीपोर्ट की समीक्षा करने तथा वर्तमान परेशानी को देखते हुए सामाजिक कार्य करने स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए कृपा करके विशेषाधिकार से मुझे केन्द्रीय सुरक्षा व्यवस्था दिलवाने की महान कृपा करें। कृत कार्यवाही के परिणाम से स्वयम् अवगत होने तथा मुझे भी अवगत कराने की महान कृपा करें।

भवदीय

[signature]

पत्रकार खीरी यमुनापार इलाहाबाद-212106

(73) 241 S/c

By Speed Post
RTI MATTER
(To be issued in Hindi)

No. VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 24th February, 2014

To

Shri Sachchidanand Tiwari,
Journalist, Khiri,
Yamunapar, Allahabad,
Pin-212106 (U.P.).

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

***

Sir,

Please refer to your RTI application dated 31.12.2013 received in this unit on transfer on 07.02.2014.

2. From your RTI application it is not clear as to what information has been sought by you, rather, it appears to be representation for provision of security to you. In this regard, it is stated that provision of security to an individual is primarily the responsibility of the State Government concerned, in whose jurisdiction such individual is ordinarily resident or happens to be. Thus, the matter is related to Government of UP. Accordingly a copy of your application is being forwarded to Chief Secretary, Government of UP for appropriate action.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP & VS) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001.

Yours faithfully,

(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele:23438120

Copy to:

1. Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, Lucknoow along with a copy of RTI application of Shri Sachchidanand Tiwari.
2. Shri S. Samanta, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2014-RTI dated 30.01.2014.